न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 29/2014

1 मूलचन्द उम्र 59 साल पुत्र स्व. प्रहलाद जाति जांगिड़ खाती निवासी किठाना, तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र प्रहलाद (दावे में स्वयं को पुत्र दयालाराम अंकित किया है।) जाति जांगिड़ खाती निवासी किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
3 बाबुलाल पुत्र स्व. प्रहलाद जाति जांगिड़ खाती निवासी किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
4 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुलताना तहसील चिड़ावा जरिये मैनेजर
5 विनोद कुमार पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
6 श्रीमती सुशीला पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2011 द्वारा उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा उनवानी मुकदमा ओमप्रकाश बनाम प्रहलाद वगैरह दावा बाबत घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकार्ड मु.नं. 88/2011

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनू)

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र बुडानियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप महला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट(अनुपस्थित)

—निर्णय—

दिनांकः— 9.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 88/2011 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद घोषणात्मक व दुरूस्ती रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर 795, 797, 798 नये खसरा नम्बर 879, 909 वाके ग्राम किठाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने वादी की हैसियत से स्व. प्रहलाद जो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 3 का पिता था उसको पक्षकार बनाया और प्रहलाद को तथाकथित पुत्र दयालाराम व वास्तविक पुत्र मामराज अंकित कर पक्षकार बनाया गया जबकि वास्वविकता यह है कि स्व. प्रहलाद, स्व. दयालाराम के गोद का पुत्र था। और सम्पूर्ण जमाबंदियों व अन्य वोटरलिस्ट गावं में अन्य स्थान पर जहां भी लेन देन या अन्य आवश्यकता होती वहां पर प्रहलाद पुत्र दयालाराम ही अंकित किया जाता। परन्तु विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के मन में जमीन हड़पने की बेईमानी आ गई और इसने फर्जी अपने हक में एक गोदनामा तैयार कर दावा में गलत तथ्य अंकित किये और स्व प्रहलाद को दावे का पता नहीं लगने दिया और बाला बाला अपने हक में निर्णय व डिक्री करवा लिया। विचारण न्यायालय में स्व. प्रहलाद की तामील सम्यक तरीके से नहीं करवाई गई है। विचारण न्यायालय को यह जांच की जानी चाहिए थी तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से दस्तावेज मंगवाकर जांच की जानी चाहिए थी कि स्व. प्रहलाद को प्रतिवादी नम्बर 1 के रूप में प्रहलाद तथाकथित पुत्र दयालाराम क्यों अंकित किया गया है और रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 वादी के नाम अगर गोद का पुत्र है तो इतने वर्षों तक इनके नाम से नामान्तकरण क्यों अंकित नहीं हुआ। जबकि वास्तविकता यह है कि विचारण न्यायालय में जो गोदनामा प्रस्तुत किया गया है। उस पर गोद लेने व देने वाली माता की कोई सहमति व हस्ताक्षर नहीं है। इसलिए गोदनामा फर्जी है। विचारण न्यायायल के समक्ष गोदनामा पर प्रदर्श नहीं डाले गये है तथा न ही पीठासीन अधिकारी के प्रदर्श पर कोई हस्ताक्षर हुए है इसलिए गोदनामा पर डाली गई प्रदर्श को कानूनी रूप से पढ़ा नहीं जा सकता और न ही साक्ष्य में ग्राह्य है। स्व. प्रहलाद, स्व. दयालाराम का दत्तक पुत्र था और स्व. प्रहलाद ही स्व. दयालाराम की सेवा सुश्रषा करता था जो विवादित भूमि स्व. दयालाराम के नाम से अंकित थी उस जमीन को स्व. प्रहलाद जो अपीलान्ट का पिता ही काश्त किया करता था इसलिए जमाबंदियों में प्रहलाद पुत्र दयालाराम का नाम अंकित चला आया था और स्व. दयालाराम की मृत्यु के बाद वारिस के रूप में पर्चा 19 के तहत मु. मनकोरी पत्नी दयालाराम खाती के नाम से के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हुआ और जब मनकोरी की मृत्यु हो गई तो उक्त वर्णित विवादग्रस्त खसरा नम्बर की भूमि का फौतगी नामान्तकरण ग्राम पंचायत किठाना ने बाद जांच नामान्तकरण प्रहलाद पुत्र दयालाराम खाती के नाम से दर्ज हुआ। इस प्रकार से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का विवादग्रस्त भुमि से कोई ताल्लुक नही रहा और रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपने ही पिता स्व. प्रहलाद को प्रतिवादी नम्बर 1 बनाकर उसके पिता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

की वल्दीयत तथाकथित लिखकर बिना तामील करवाये ही अपने हक में दावा निर्णित करवा लिया। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 3 सगे भाई है और स्व प्रहलाद पुत्र स्व. दयालाराम के पुत्रान है इसलिए विवादग्रस्त भूमि में तीनो का 1/3–1/3 हिस्सा भूमि का है तथा अपने पिता स्व प्रहलाद के जीवनकाल में ही अपास में बंटवारा करके जमीन को काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 स्व. प्रहलाद का पुत्र है जो कभी भी स्व. दयालाराम के गोद नहीं गया जिसके सन्दर्भ में ओमप्रकाश की पढ़ाई के जो प्रमाण है वह स्पष्ट करते है कि स्कूल में ओमप्रकाश पुत्र प्रहलादराम नाम ही दर्ज था तथा इसका वोटरलिस्ट एवं जहां भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपने पिता का नाम आवश्यकता पड़ी वहां प्रहलाद का ही नाम लिखवाया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 बाबूलाल, अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 सगे भाई है जो वर्तमान में विदेश रहता है। जिसको टेलिफोन से सारी कहानी बतलाई तो उसने अपीलान्ट को कानूनी कार्यवाही करने के लिए कहा परन्तु रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 अपील के समय मौजुद नहीं होने के कारण रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 के रूप में पक्षकार बनाया गया हैं तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 के रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 जमीन गिरवी रख दी है। जिसे पक्षकार बनाया है। अतः विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 5 व धारा 96 पूर्व में स्वीकार हो चुके है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जा चुका है। विचाराधीन वादग्रस्त सम्पदा में प्रथम दृष्टया अपीलांट के हक अधिकार निहित होना प्रकट होता है। विचारण न्यायायल में अपीलांट पक्षकार नहीं था। विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब देही, साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 9.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव

(बलदेवाराम घटेला)

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,

सीकर